प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण मे वर्ष 1971 से 1991 के कुल 962 अपराधों की सूची मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर को भेजी गयी थी। जिसमें विगत 20 वर्षो में मुकदमों के निस्तारण के पश्चात किसी मा0 अपर न्यायालय में कोई अपील विचाराधीन न होने के कारण ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व सदर मालखाना रिपोर्ट के पश्चात प्रस्तुत की गयी थी । मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया गया कि निर्णित मुकदमों के मालो का निस्तारण करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में मालों के निस्तारण के अभियान के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2022 को मा0 न्यायालय श्रीमान सीजेएम महोदय द्वारा सदर मालखाना एवं जनपद के विभिन्न थानों से सम्बन्धित मालों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आनन्द मिश्र, उप-जिला अधिकारी (अतिरिक्त) श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी, सभ्रांत व्यक्ति श्री चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी सेवानिवृत्ति ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दिनेश चन्द्र मिश्र की संयुक्त कमेटी गठित की गयी। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में कुल 593 मालों का निस्तारण कराया गया।

विवरण निस्तारित माल:-

1. एसबीबीएल, डीबीबीएल, राइफल- 73 नजारत
2. अवैध तमंचा/शस्त्र फैक्ट्री- 62/02 (अवैध शस्त्र एवं शस्त्र फैक्ट्री से सम्बन्धित अवैध तमंचा व उनसे सम्बन्धित उपकरणों को मलवां स्थित सदाहारी शक्ति स्टील फैक्ट्री की भट्टी में डलवाकर/गलाकर नष्ट कराया गया।)
3. कारतूस- 419 (सुरक्षित)
4. विद्युत अधिनियम- 82
5. अवैध शराब अभियोग- 299 से सम्बन्धित 2240 ली0 अवैध शराब (जलाकर नष्ट कराया गया)
6. अन्य माल- 63 (जलाकर नष्ट कराया गया)

शेष मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में पत्राचार कर शीघ्र निस्तारित कराया जायेगा।